


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 108/2020-21(1111)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/9/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा- <u>एक किन्डी</u>, थाना नं0- <u>196</u>, खाता संख्या- <u>417</u> प्लॉट संख्या- <u>—</u>, रकबा- <u>1.64</u> एकर की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>45</u> पर जमाबंदी रैयत <u>प्रहमानन्द सिंह चौधरी</u> पिता- <u>—</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/9/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </div>	

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमान्द रिंठ चौधरी मिना

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>चक किनुडीह</u>	<u>196</u>	<u>4, 17,</u>	<u>—</u>	<u>1.64.4.</u>

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....1..... पृष्ठ सं०-.....45..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- 1971-72.

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद साठीमक

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- उं

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- गैर आवाद

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोबस्ती) - Rent Assessment Case 264/58-59.

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) संघारित पंजी- 2.

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1.</u>	<u>437891.</u>	<u>31.3.72.</u>	<u>1972-73.</u>

अं०३०/अनन, गौविन्दपुर
महाशम,

आरोपित भूमि मौजा चक किनुडीह थाना सं० 196 रकबा 1.64.4.1)
की है। प्राधिकार काल में Rent Assessment Case- 264(58-59) द्वारा
लगान रसीद वर्ष 86-87 तक निर्गत होने का विवरण अंकित है।